

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/एसीपी/सी-3()/2018/

दिनांक:-

आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.14 (1) एफ.डी(नियम)/2013-11 दिनांक 28.06.2013 एवं राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2017 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान 2017 में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुये निम्नलिखित नर्स-2 एवं महिला स्वास्थ्य दर्शिका जिन्होंने 9, 18 व 27 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से निम्नानुसार एसीपी स्वीकृत की जाती है:-

क्र० सं०	कर्मचारी का नाम व पद	सम्बन्धित अधिकारी	प्रथम नियुक्ति तिथि	दिनांक व पूर्ण सेवा अवधि	देय पे बेन्ड/ वर्तमान में प्राप्त पे मैट्रिक्स लेवल	देय पे ग्रेड/ देय पे मैट्रिक्स लेवल
1	यशोदा कोली, एलएचवी	भीलवाडा	08.02.90	08.02.17 (27वर्ष)	9300-34800	4800
2	निर्मल कौर नर्स -2	श्रीगंगानगर	10.08.09	10.08.18 (9 वर्ष)	L-11	L-12
3	चरणजीत कौर नर्स-2	श्रीगंगानगर	10.08.09	10.08.18 (9 वर्ष)	L-11	L-12
4	श्री शेरबाला मीणा नर्स-2	बांसवाडा	24.04.08	24.04.17 (9 वर्ष)	9300-34800	4800
5	अम्मा निनामा नर्स -2	बांसवाडा	18.6.08	18.06.17 (9 वर्ष)	9300-34800	4800
6	मन्जूलता अजमेरा नर्स-2	बूंदी	16.04.99	16.04.17 (18 वर्ष)	L-12	L-13
7	विमला चौधरी नर्स -2	जयपुर द्वितीय	11.08.09	11.08.18 (9 वर्ष)	L-11	L-12

नोट:- उक्त कर्मियों में यदि किसी कार्मिक के दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् तीसरी सन्तान हुई है तो यह आदेश उन पर लागू नहीं होगा।

sd

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

दिनांक:- 29/10/18

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/एसीपी/सी-3()/2018/1435

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 समस्त सम्बन्धित सयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन राजस्थान।
- 2 समस्त सम्बन्धित अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज संलग्न चिकित्सालय, राजस्थान।
- 3 समस्त सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
- 4 समस्त सम्बन्धित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
- 5 समस्त सम्बन्धित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
- 6 समस्त सम्बन्धित वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, राजस्थान।
- 7 समस्त सम्बन्धित चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, राजस्थान।
- 8 सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- 9 प्रभारी सर्वर रुम को भेजकर लेख है कि आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।
- 10 आदेश/निजी पत्रावली।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर